सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या **465** राँची, बुधवार

10 आषाढ़, 1937 (श०)

1 जुलाई, 2015 (ई०)

नगर विकास विभाग

अधिसूचना

25 जून, 2015

विषय:- केंद्र प्रायोजित "स्वच्छ भारत मिशन" (शहरी) कार्यक्रम को झारखण्ड राज्य में कार्यान्वित करने हेतु दिशानिर्देश एवं कार्यप्रणाली की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

....

संख्या-- 06A/न०वि०/HPC-(SBM)-04/2015-2206-- शहरी क्षेत्रों में शौचालयों के अभाव एवं ठोस अपशिष्ट के व्यवस्थित संग्रहण एवं निस्तारण सम्बन्धी कठिनाईयों को दूर करने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन नामक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गयी है जिसके तहत विभिन्न प्रकार के शौचालयों का निर्माण एवं ठोस अपशिष्ट का निस्तारण करते हुये वर्ष 2019 तक पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य निर्धारित है। इस हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को शहरी क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन हेतु प्राधिकृत किया गया है। राज्य स्तर पर शहरी क्षेत्रों के लिए नगर विकास विभाग इस योजना के लिए नोडल विभाग नामित है।

(2) स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत समग्र स्वच्छता की योजना तैयार की जाएगी । इसके अधीन IEC के माध्यम से नागरिकों में स्वच्छता संबंधी जागरूकता, जीवन शैली में बदलाव, निजी भागीदारी

के माध्यम से अनुकूल वातावरण तैयार करने, क्षमता संवर्धन एवं अन्य विशिष्ट क्षेत्रों यथा भंगी प्रथा का समापन, ठोस अपशिष्ट योजनाओं का व्यवस्थित कार्यान्वयन तथा मजदूर एवं प्रवासी जनसंख्या के लिए शौचालय आदि की व्यवस्था की जानी है। स्वच्छ भारत मिशन के अधीन निम्नांकित छ प्रमुख अवयव निर्धारित हैं :-

I. व्यक्तिगत शौचालय निर्माण तथा संवर्धन
II. सामुदायिक शौचालय निर्माण
III. सार्वजनिक शौचालय निर्माण
IV. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य
V. स्वच्छता संबंधी प्रचार प्रसार एवं जागरूकता फैलाना
VI. प्रशासनिक एवं कार्यालय सुदृढ़ीकरण तथा क्षमता संवर्धन।

(3) स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उपर्युक्त निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-781; दिनांक 11 मार्च, 2015 द्वारा मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति (HPC) का गठन किया गया है ।

स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका तथा समय-समय पर निर्गत मार्ग निर्देश तथा उच्च स्तरीय समिती द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में किया जायेगा। उक्त समिति की प्रथम बैठक दिनांक 14 मई, 2015 में लिए गए निर्णय अनुसार राज्य स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन हेतु बिन्दुवार निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं ।

3(i) <u>व्यक्तिगत शौचालय निर्माण तथा संवर्धन:-</u>

सरकार का लक्ष्य है कि खुले में शौच के प्रचलन को समाप्त किया जाय तथा पूर्व के शुष्क शौचालयों का संवर्धन किया जाय। मिशन अवधि में insanitary शौचालयों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इसी आधार पर लक्ष्य समूह बनाया गया है जिसके आधार पर वर्त्तमान में खुले में शौच करने वाले 80% परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण करना है। शेष 20% के लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाना है। सभी शुष्क शौचालयों के शत प्रतिशत संवर्धन का लक्ष्य है। उक्त शौचालयों के निर्माण का दो प्रारूप संसूचित है। ऐसे स्थल, जो सिवेरेज लाइन के 30 मीटर की परिधि के अंतर्गत हैं, उन्हें सीधे सिवेरेज लाइन से जोड़ा जायेगा तथा जो उक्त परिधि के बाहर है उनके लिए **super structure** के साथ साथ on-site treatment system (such as twin pits, septic tanks, bio-digesters or bio tanks) तैयार करने की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

भारत सरकार द्वारा व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि के रूप में रु. 4000/- (चार हज़ार रुपये) एवं राज्य सरकार द्वारा रु. 8000/- (आठ हज़ार रुपये) प्रत्येक चिन्हित household को दिया जायेगा। व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण में आने वाली कुल लागत की शेष राशि लाभुक द्वारा किया जायेगा। लाभुकों का चयन तथा योजना का कार्यान्वयन स्वच्छ भारत मिशन के मार्गदर्शिका के आलोक में किया जायेगा।

3(ii) <u>सामुदायिक शौचालय निर्माण</u>

(क) सरकार का मानना है की भूमि की अनुपलब्धता के कारण खुले में शौच करने वालों की कुल जनसँख्या का 20% ऐसी जनसँख्या है, जिसके लिए सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाना आवश्यक है। सभी सामुदायिक शौचालयों का निर्माण आवश्यकतानुसार किया जायेगा, जिसमें पुरुष तथा महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाएगी। साथ ही स्नानादि की व्यवस्था एवं नि:शक्तों के लिए भी समुचित सुविधाएँ दी जाएगी इस हेतु, एक model प्राकल्लन तैयार जमीन उपलब्धता के अनुसार सभी नगर निकायों में इसका निर्माण कराया जायेगा ।

(ख) स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जितने भी सामुदायिक शौचालय बनेंगे, उनका रख-रखाव लाभुक समिति अथवा एजेंसी से किया जायेगा। सम्बंधित कंपनियों द्वारा उनकी देख रेख किसी एजेंसी के माध्यम से कम से कम पांच वर्षों के लिए की जाएगी ।

(ग) सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रति शौचालय रु० 26,000/- अनुदान एवं राज्य सरकार द्वारा अवशेष अनुदान रु० 39,000/- अर्थात कुल रु० 65,000/- की राशि प्रति (seat) दी जाएगी। निर्माण सामग्री एवं अपनाई गयी तकनीक तथा रख-रखाव की अवधि के आलोक में यह राशि घट बढ़ सकती है।

3 (iii) <u>सार्वजनिक शौचालय निर्माण:-</u>

(क) चूँकि भारत सरकार द्वारा इस मद में किसी प्रकार की राशि उपलब्ध नहीं करायी जाएगी, अतः सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण का व्यय राज्य सरकार को स्वयं और राज्य स्थित सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा CSR गतिविधियों के अधीन वहन की जाएगी। इस सम्बन्ध में दूसरे राज्य में CSR गतिविधियों का अध्ययन कर मिशन निदेशालय (SUDA) स्तर पर केन्द्रीयकृत प्रक्रिया अपनाते हुए model estimate तैयार कर निर्माण कार्य किया जायेगा। O&M का दायित्व सम्बंधित कंपनियों को कम से कम पांच (05) वर्षों के लिए सौंपा जायेगा।

(ख) भारत सरकार के लक्ष्य के अनुसार प्रत्येक शहर में सार्वजनिक स्थलों में भूमि चिन्हित करते हुए इनके निर्माण हेतु (PPP) प्रस्तावों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। सार्वजनिक शौचालय के निर्माण में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि महिला, पुरुषों एवं नि:शक्तों के लिए उचित प्रावधान किया जाए।

(ग) स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जितने भी सार्वजनिक शौचालय बनेंगे, सम्बंधित कंपनियों द्वारा उनकी देख रेख किसी एजेंसी के माध्यम से कम से कम पांच वर्षों के लिए की जाएगी।

3(iv) <u>ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य</u>

(क) Solid Waste Management में भारत सरकार द्वारा 20% राशि देने का प्रावधान है। इसके तहत Capex cost का 80% राशि राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा।

(ख) स्वच्छ भारत मिशन की मार्गदर्शिका के आलोक में Solid Waste Management के DPR का appraisal किसी प्रतिष्ठित संस्थान यथा IIT Mumbai, Roorkee, NIT अथवा State Technical University जैसे

ISM Dhanbad, BIT Mesra से कराने की कारवाई की जाएगी। यह कारवाई मनोनयन के आधार पर किया जायेगा, जिसमें time limit एवं rate स्पष्ट रूप से उल्लेखित होगा, ताकि डी०पी०आर का ससमय appraisal हो सके एवं अनावश्यक विलम्ब न हो।

3(v) <u>स्वच्छता संबंधी प्रचार प्रसार एवं जागरूकता फैलाना:-</u>

(क) प्रचार प्रसार (IEC) घटक अंतर्गत 75% राशि भारत सरकार एवं 25% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(ख) प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के अवयव के रूप में राज्य एवं निकाय स्तर पर विभिन्न प्रकार के होर्डिंग, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन, रेडियो ब्रॉड-कास्टिंग, बुकलेट, हैण्डबिल में आने वाले खर्च की राशि निकाय स्तर पर चिन्हित राशि निकाय स्वयं खर्च करेगी।

(ग) राज्य स्तर पर चिन्हित राशि सूचना जनसंपर्क विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। सूचना एवं जन-संपर्क विभाग, नगर विकास विभाग के सहयोग से प्रचार प्रसार पर व्यय करेगा।

3 (vi) <u>प्रशासनिक एवं कार्यालय सुदृढ़ीकरण तथा क्षमता संवर्धन:-</u>

(क) स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत क्षमता संवर्धन की गतिविधियाँ राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति द्वारा भारत सरकार के सुझावों पर तय की जाएँगी। निकायों द्वारा इस मद में प्राप्त राशि का न्यूनतम 50% व्यय किया जा सकेगा। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत क्षमता संवर्धन A&OE के तहत मुख्यालय स्तर पर 50% तथा शेष 50% निकायों में व्यय किया जायेगा। इस क्रम में राज्य स्तर पर PMU के गठन तथा अन्य स्थापना मद में 50% राशि व्यय की जाएगी।

(4) स्वच्छ भारत मिशन के सम्यक एवं सफल संचालन तथा अनुश्रवण हेतु निम्नांकित सांस्थिक व्यवस्था स्थापित की जाएगी।

(क) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित "स्वच्छ भारत मिशन" के अंतर्गत गठित होने वाले **"स्वच्छ भारत मिशन राज्य मिशन निदेशालय"** एवं उसके अधीनस्त PMU का गठन किया जायेगा जिसके अंतर्गत निम्नांकित पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति खुली निविदा के माध्यम से एजेंसी का चयन कर किया जायेगा।

क्र०स०	**स्वच्छ भारत मिशन के PMU के अंतर्गत प्रस्तावित पद**	**पद संख्या**
1	Project Manager	**1**
2	Specialist – IHHLS & Community Sanitation, Communication Training, Public Awareness & Outreach	**1**
3	Specialist Solid Waste management	**1**
4	Specialist – IT cum MIS, Finance & Accounts	**1**
5	Technical Assistant	**2**

PMU का व्यय भार A&OE मद में निर्धारित राशि से किया जायेगा ।

(ख) "स्वच्छ भारत मिशन" के अंतर्गत "स्वच्छ भारत मिशन राज्य मिशन निदेशालय" के रूप में कार्य करने हेतु नगर विकास विभाग के अधीन गठित राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) को प्राधिकृत किया जाता है। निदेशक, SUDA राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति (HPC) के सदस्य सचिव भी होंगे।

(ग) प्रस्तावित "स्वच्छ भारत मिशन राज्य मिशन निदेशालय"/SUDA पूरे राज्य के लिए एक एकीकृत संरचना तैयार करेगा जो निकाय स्तर पर योजना निर्माण, स्वीकृति, अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन तथा राष्ट्रीय मिशन निदेशालय के दिशा निर्देशों पर आवश्यक कार्रवाई करेगा ।

(घ) झारखण्ड राज्य अंतर्गत निकायों में वार्ड स्तर पर स्वच्छता उप समिति का गठन किया गया है। उप समिति को स्वच्छता हेतु सम्पूर्ण उतरदायित्व होगा। इस क्रम में स्वच्छता समिति का कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर इनके विरुध कार्रवाई की जाएगी।

(4) शौचालयों का निर्माण एवं रख रखाव :-

(क) व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण, रख-रखाव, Technical Supervision, लाभुकों को प्रेरित करने हेतु किसी संस्था को मनोनयन/चयन के आधार पर कार्य सौंपा जायेगा।

(ख) सामुदायिक शौचालय का निर्माण तथा रख-रखाव की जिम्मेदारी सुलभ इंटरनेशनल या उनके जैसे अन्य संस्थाओं को मनोनयन/चयन के आधार पर कार्य आवंटित करने एवं सार्वजनिक शौचालय का निर्माण तथा उसके रख-रखाव के दायित्व CSR के तहत विभिन्न कंपनियों को सौंपा जायेगा।

(ग) शौचालयों का निर्माण उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ किया जायेगा भले ही निर्माण मूल्य ज्यादा हो। निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,

सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 465—50+200 ।